संख्या-37/2019/2599/60-2-19-2/3(2)17

प्रेषक,

गया प्रसाद,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2019

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये प्रशासनिक मद में व्यय हेतु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था किये जाने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-516/बा.वि.परि./लेखा/2019-20 दिनांक 12.07.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्रशासनिक मद में व्यय हेतु प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र रू0 2000.00 तथा प्रति मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र रू0 1000.00 की दर से कुल रू0 3532.91 लाख (रू0 पैंतीस करोड़ बत्तीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने एवं इस प्रयोजन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्री एवं ग्राम प्रधान/सभासद के संयुक्त बैंक खाते में अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15.11.2017, शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 तथा शासनादेश दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) एक बार में एक माह के अनुमानित आवश्यकता के बराबर की धनराशि अग्रिम के रूप में आहरित की जायेगी।

(4) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा।

(5) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(6) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथा संशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(7) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(8) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक माह के व्यय का अनुमान सम्बन्धित सामग्रियों के प्रचलित मूल्य के आधार पर यथासम्भव वास्तविकता के नजदीक निर्धारित किया जायेगा।

(9) योजना की गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों का पालन किया जायेगा।

(10) जैसे-जैसे असंचालित केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ होगा उसी आधार पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(11) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(12) प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन की ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में जो निर्देश जारी किये गये हैं, उसी के अनुरूप निर्देश निर्गत करने का प्रस्ताव शासन को तत्काल भेजा जाय।

(13) समस्त अग्रिम का समायोजन 31.03.2020 तक नियमानसुार कराया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकडों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0102-समन्वित बाल विकास योजना-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-4- 674 /दस-2019 दिनांक 5 जुलाई, 2019 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गया प्रसाद)
विशेष सचिव

संख्या-37/2019/2599(1)/60-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
4. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in